न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.	
17/12/19	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] रजिस्टर्ड किया गया है। [illegible] पुस्तक से इंद्राज किया जाकर आदेश पारित किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] के नाम से [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	
01/01/2020	प्रार्थी [illegible] सिंह के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि आदेश व पंजीयन रजिस्टर में गलत से ख.नं. व रकबा त्रुटि [illegible] जिसे दुरुस्त करवाया जावे। प्रार्थी को सुना व पत्रावली व आदेश का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित [illegible] [illegible] आदेश व पंजीयन रजिस्टर में ख.नं. 2050 रकबा 0.2500 हैक्टेयर ([illegible]) वांछित दुरुस्ती [illegible] तहसील कोटकासिम [illegible] जावे।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/19	11.06.2019	17.12.2019

1. लखीराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट साकिन ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादी

–:बनाम:'–

1. ठाकुर सिंह
2. सुबेसिंह
3. अर्जुन सिंह
4. अशोक कुमार पुत्रान श्री सुल्तान
5. जगराम
6. रघुवीर
7. अतर सिंह
8. वीर सिंह पुत्रान श्री मनभा
9. रामरती पुत्री मनभा
10. रतनावती पत्नि सुबेसिंह
11. नरेश
12. रविन्द्र पुत्रान सुबेसिंह
13. तीजो पुत्री सुल्तान जाति जाट साकिन हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो
हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188
राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादी
2. श्री शीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक प्रतिवादीगण सं0 5 लगा0 12

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी ने मय अभिभाषक एक वाद अन्तर्गत धारा दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख0 न0 2050 रवा 0.2500 है0 (1–0 बीघा) वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग श्री सुल्तान पि0 मुत0 घीसा जाति जाट निवासी हरसौली की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिसके राजस्व रिकार्ड में श्री सुल्तान जी के नाम का अमल दरामद हो रहा था।

प्रतिवादीगण के बुजुर्ग श्री सुलतान जी ने विवादित आराजी का बेचान बेचान बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल राशि मुब0 400/– रूपये शब्देन चार हजार रूपये मिन वादी से रोकडी प्राप्त कर विधि अनुसार विवादित भूमि का बयनामा तहरीर व तकमील कराकर मृमक सुलतान जी ने अपने अंगूठा निशानी करके गवाहान की गवाहीया कराकर उप पंजियक महोदय किशनगढ़–बास के यहां दिनांक 07.06.1983 को प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी थी। तथा मौके पर मिन वादी का उसी दिन हल चलवाकर कब्जा करा दिया था। मुलाहिजा हेतु नकल बयनामा संलग्न है।

विवादित आराजी मिन वादी की जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिसको मिन वादी बवक्त खरीद से ही शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है, मौके पर वास्तविक कब्जा है तथा मौके पर फसल बाजरा काश्त की हुई है। मिन वादी ने वाद पंजिबद्ध होने बयनामा, असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते इन्काल दे दिया था, तथा पटवारी हल्का ने भी बयनामा कुछ दिन इन्काल दे दिया था, तथा पटवारी हल्का ने भी बयनामा कुछ दिन अपने पास रखकर मिन वादी को यह विश्वास दिलाते हुऐ लोटा दिया कि आपका इन्तकाल दर्ज हो गया है, तथा मिन वादी विश्वास में रह गया तथा राजस्व रिकार्ड का मुलाहिजा नहीं कर सका, तथा अब दिनांक 08.07.2016 को हल्का पटवारी ने नकल जमाबंदी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड मृतक सुलतान के वारिसान के नाम चला आ रहा है, जिस पर मिन वादी ने दिनांक 10.07.2016 को प्रति0 से उक्त गलत अंकन दुरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रति0 स्पष्ट तोर पर इन्कार हो गये व आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। विवादित आराजी से वाद विक्रय प्रतिवादीगण या फिर मृतक सुलतान का कोई किसी प्रकार का लेना–देना सरोकार व सम्बन्ध नहीं रहा है ना अब है किन्तु गलत रूप से प्रति0 ने अपने नाम का अंकन दर्ज रिकार्ड कराया हुआ है जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ मौका विपरीत रिकार्ड ऑफ राईट्स है जो हक हकूक वादी के विरूद्ध बातिल व बेअसर है, नाकाबिल पाबन्दी है काबिले दुरूस्ती है। प्रति0 उक्त गलत अंकन की आड में जब्रन विवादित आराजी से वादी को बेदखल करना व दीगर लोगों को मुन्तकिल करना चाहते है।यदि वाकई प्रति0 अपने इन नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गये तो वादी को हर सूरत में अजहद हानि होगी दीगर मुकदमा बाजी में उलझना पडेंगा, हकूक वादी पर आवरण छा जावेगा, तथा वादी को

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपनी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग से बेजा महरूम होना पड जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में नही आंकी जा सकेगी इसलिऐ वादी प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द कराने के हकदार है। विवादित आराजी मिन वादी की जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर मिन वादी शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। हकूक वादी कानूनन रक्षित है इसलिऐ वादी को अपने हकूको की रक्षार्थ हेतु वादपत्र दायर करना लाजिम आया है। वाद पत्र हेतु बिनायदावी व बिनाय मुखासमत जानकारी दिनांक 08.07.2016 इन्कारी व धमकी दिनांक 10.07.2016 को उत्पन्न हुई है कि जिससे दावा हाजा मामूलन अन्दर अवधि पेश है।

डिक्री इज्राय इश्तकरारहक बहक वादी विरूद्ध प्रति0 सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे कि आराजी हाल खसरा सं0 2050 रकबा 0.2500 है0 (1–0 बीघा) वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर वादी की जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बाद विक्रय मृतक सुलतान व प्रति0 के नाम का जो अंकन चला आ रहा है वो हक हकूक वादी के विरूद्ध बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादी के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे। जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रति0 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादी को बदखल करे, ना ही कब्जा काश्त वादी में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना ही जब्रन कब्जा करे, राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजूद सूचना उपस्थित नही। इसलिए इनके खिलाफ दिनांक 13.12.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र कैम्प कोर्ट हरसौली में दिनांक 07.07.2017 को पेश हुआ। जिसमें वादी का वाद डिक्री किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 12 की ओर से दिनांक 10.05.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश हुआ। जो दिनांक 28.05.2019 को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत–8 व 10 लगायत– 12 की ओर से एक राजीनामा पेश किया गया। जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादिया संख्या–9 रामरती की ओर से सहमति पत्र राजीनाम पेश किया गया जो वाद तस्दीक पत्रावली सामिल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

विद्वांन अधिवक्ताओं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत–12 ने अपनी बहस में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किया जावे। विद्वांन अधिवक्ताओं ने अपने राजीनामा में अंकित किया वाद में प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 12 व वादी लखीराम के मध्य इस प्रकार राजीनामा हुआ है:– उक्त वाद सं0 195/16 की एक पक्षीय डिक्री के अपास्त कर इंतकाल को प्रतिवादी सं0 5 लगायत 12 जिनमें जगराम, रघुवीर, अतरसिंह, वीरसिंह पुत्रांन मनभा, सामरति पुत्री मनभा, रतनावती पत्नी सुबेसिंह, नरेश, रविन्द्र पुत्रान

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

श्री सुबेसिंह जाति जाटान ग्राम रानियावास के 1/2 भाग तरफ उत्तर दिशा तक अपास्त कर 1/2 भाग उत्तर दिशा में अंकन इनके नाम का किया जावे व शेष 1/2 भाग रतफ दक्षिण दिशा में वादी लखीराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट ग्राम हरसौली के नाम किया जावे। इस राजीनामा में पक्षकारान सहमति है व भविष्य तक पावंद रहेगे। एकपक्षीय डिक्री दिनांक 07.07.2017 को अपास्त कर 1/2 भाग मनभा के वारिसान जगराम, रघुवीर अतरसिंह, वीरसिंह पुत्रान मनभा, रामरती पुत्री मनभा, रतनावती पत्नी सुवेसिंह, नरेश, रविन्द्र पुत्रांन श्री सुबेसिंह जाति जाटान ग्राम रानियावास तहसील कोटकासिम जिला–अलवर के नाम व 1/2 भाग वादी लखमीराम के नाम किया जावे।

अतः श्रीमानजी के समक्ष राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मूल वाद की पत्रावली तलब कर राजीनामा तस्दीक कर प्रकरण बरूवे 1/2 भाग मनभा के वारिसान जगराम, रघुवीर, अतरसिंह, वीरसिंह पुत्रांन मनभा, रामरती पुत्री मनभा, रतनावती पत्नी सुवेसिंह, नरेश रविन्द्र पुत्रान श्री सुवेसिंह जाति जाटान ग्राम रानियावास तहसील कोटकासिम के व 1/2 भाग वादी लखीराम के नाम फैसल फरमाया जावे।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादपत्र संख्या 195/16 जो कैम्प कोर्ट हरसौली दिनांक 07.07.2017 की एकपक्षीय डिक्री किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय डिक्री दिनांक 07.07.2017 को अपास्त किया गया एवं वाद पत्र को पुनः दर्ज कर सुना गया। वाद पत्र में सलग्न राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान यादव अभिभाषक एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 12 की पहचान श्री शीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक की है, पर गौर किया गया। विद्वांन अधिवक्ताओं ने मुताबिक राजीनाम वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की है। इसलिए मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक राजीनामा इस कदर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 जगराम, रघुवीर, अतर सिंह, वीरसिंह पुत्रांन मनभा, रामरती पुत्री मनभा, रतनावती पत्नी सुबेसिंह, नरेश, रविन्द्र पुत्रांन सुबेसिंह जाति जाट निवासी रानियावास के 1/2 भाग उत्तर दिशा में व शेष 1/2 भाग तरफ दक्षिण दिशा में वादी लखीराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी हरसौली के नाम रहेगी। पूर्व में आये इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधन

01.4.2020 प्रार्थी अतरसिंह के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। आदेश दिनांक 17.12.2019 में गलती से ख.नं. के रकबा संशोधन करना भूल गया। आराजी ख.नं. 2050 रकबा 0.2500 हैक्टेयर (एक बीघा) वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/19	11.06.2019	17.12.2019

1. लखीराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट साकिन ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–वादी

–:बनाम:'–

1. ठाकुर सिंह
2. सुबेसिंह
3. अर्जुन सिंह
4. अशोक कुमार पुत्रान श्री सुल्तान
5. जगराम
6. रघुवीर
7. अतर सिंह
8. वीर सिंह पुत्रान श्री मनभा
9. रामरती पुत्री मनभा
10. रतनावती पत्नि सुबेसिंह
11. नरेश
12. रविन्द्र पुत्रान सुबेसिंह
13. तीजो पुत्री सुल्तान जाति जाट साकिन हरसौली तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो
हुक्मइम्तनाई दवामी जेर दफा 88, 89, 188
राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादी
2. श्री शीतल प्रसाद चौधरी अभिभाषक प्रतिवादीगण सं0 5 लगा0 12

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः वादी वाद मुताबिक राजीनामा इस कदर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 12 जगराम, रघुवीर, अतर सिंह, वीरसिंह पुत्रांन मनभा, रामरती पुत्री मनभा, रतनावती पत्नी सुबेसिंह, नरेश, रविन्द्र पुत्रांन सुबेसिंह जाति जाट निवासी रानियावास के 1/2 भाग उत्तर दिशा में व शेष 1/2 भाग तरफ दक्षिण दिशा में वादी लखीराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी हरसौली के नाम रहेगी। पूर्व में आये इन्द्राज को राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

धीरेन्द्र सिंह (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

संशोधित

01/01/2020 पर्चा डिक्री दिनांक 17.12.2019 के सम्बन्ध में ख.नं. व रकबा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की जगह ख.नं. 2050 रकबा 0.2500 हेक्टेयर ([illegible]) वाके ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner